संख्या-188/2024/1109/41-2-2024-25 (सा0)/2024

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक 04 जुलाई, 2024**

विषयः-श्री परमहंस योगानन्द जी की जन्मस्थली मुहल्ला मुफ्तीपुर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर के ग्राम असकरगंज स्थित जमींदारी क्षेत्र की आराजी संख्या-82 सरकार बहादुर कैसरे हिंद खेवट खाता सं0-3 बंजर व मकानात क्षे0-460 वर्ग मी0 भूमि पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-2023-यू0पी0/गोरखपुर मण्डल/भूमि/2023-24 दिनांक 27.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री परमहंस योगानन्द जी की जन्मस्थली मुहल्ला मुफ्तीपुर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर के ग्राम असकरगंज स्थित जमींदारी क्षेत्र की आराजी संख्या-82 सरकार बहादुर कैसरे हिंद खेवट खाता सं0-3 बंजर व मकानात क्षे0-460 वर्ग मी0 भूमि पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. जनपद गोरखपुर में श्री परमहंस योगानन्द जी की जन्मस्थली मुहल्ला मुफ्तीपुर थाना कोतवाली में स्व0 श्री शेख अब्दुल रहीम द्वारा स्थापित न्यास ''श्री परमहंस योगानन्द जन्म भूमि न्यास'' है। श्री परमहंस योगानन्द जी योग विधा के महान गुरू थे। उनके द्वारा विदेशों में भी योग का काफी प्रचार-प्रसार किया गया। श्री परमहंस योगानन्द जी के अनुयायी देश-विदेश में काफी संख्या में हैं। वर्तमान समय में भी इनकी जन्मस्थली से सम्बन्धित भवन पर काफी संख्या में इनके अनुयायी आते रहते हैं।

3. ग्राम असकरगंज स्थित जमींदारी क्षेत्र की आराजी संख्या-82 सरकार बहादुर कैसरे हिंद खेवट खाता संख्या-3 बंजर व मकानात के खाते की भूमि, जिसके 460 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पुलिस विभाग का बैरक बना हुआ है, शासकीय भूमि है। प्रश्नगत भूमि श्री परमहंस योगानन्द जी की जन्मस्थली के पर्यटन विकास हेतु उपयुक्त है, जिसे पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. ग्राम समाज/सार्वजनिक उपयोग की भूमि के पुनर्ग्रहण/विनिमय हेतु शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(2)/2016, दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय को भूमि निःशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित दी जायेगी। प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेखों में आराजी संख्या-82 सरकार बहादुर कैसरे हिंद खेवट खाता संख्या-3 बंजर व मकानात के खाते के रूप में दर्ज है। पर्यटन विभाग सेवारत विभाग की श्रेणी में नही है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण कर पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है। जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार प्रकरण में अन्तर्निहित भूमि क्षेत्रफल-460 वर्ग मी0 भूमि पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है।

5. अतएव जनपद गोरखपुर की तहसील-सदर के ग्राम असकरगंज स्थित जमीदारी क्षेत्र की आराजी सं0-82 सरकार बहादुर कैसरे हिंद खेवट खाता संख्या-3 बंजर व मकानात क्षे0-460 वर्ग मी0 श्री परमहंस योगानन्द जी की जन्मस्थली के पर्यटन विकास कार्य हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है।

6. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री परमहंस योगानन्द जी की जन्मस्थली मुहल्ला मुफ्तीपुर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर के ग्राम असकरगंज स्थित जमींदारी क्षेत्र की आराजी संख्या-82 सरकार बहादुर कैसरे हिंद खेवट खाता सं0-3 बंजर व मकानात क्षे0-460 वर्ग मी0 भूमि पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण किये जाने के संबंध में दिनांक 25.06.2024 को सम्पन्न बैठक में मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

(क) जनपद गोरखपुर की तहसील-सदर के ग्राम असकरगंज स्थित जमींदारी क्षेत्र की आराजी सं0-82 सरकार बहादुर कैसरे हिंद खेवट खाता संख्या-3 बंजर व मकानात क्षे0-460 वर्ग मी0 श्री परमहंस योगानन्द जी की जन्मस्थली के पर्यटन विकास कार्य हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

7. प्रश्नगत प्रायोजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा:-

(1) पर्यटन निदेशालय द्वारा यह सुनिचित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूमि जिस प्रयोजन हेतु निःशुल्क हस्तांतरित की जानी है उस हेतु सक्षम संस्था द्वारा निर्धारित मानक से अधिक नहीं हो।

(2) प्रश्नगत भूमि निर्विवाद हो तथा उस पर कोई धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(3) यदि प्रश्नगत भूमि प्रस्तावित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग में लायी जायेगी तो उसके लिये पर्यटन विभाग द्वारा मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) यदि भविष्य में पर्यटन विभाग को उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं रहती है अथवा तीन वर्षों तक उक्त नि:शुल्क हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नहीं लायी जाती है, तो पर्यटन विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमि को उसके मूल विभाग को वापस की जायेगी।

(5) पर्यटन निदेशालय द्वारा इस सम्बन्ध में संगत अधिनियमों/वित्तीय नियम संग्रह/ शासनादेश आदि की व्यवस्थाओं का पालन किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत भूमि पर बने गृह विभाग के नियंत्रणाधीन पुलिस थाना कोतवाली गोरखपुर के बैरक/आवास से सम्बन्धित भूमि गृह विभाग द्वारा बिना किसी शर्त के पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित की जायेगी।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग/गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
7- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- उप निदेशक (प्रशासन), पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in